राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अनिल कुमार बनाम दलपत सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	09/2024	
28/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो।	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये आदेश दिनांक 21/07/2017 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर निर्णय दिनांक 03/01/2018 पारित करते हुये ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेता/प्लाटधारी की हैसियत से प्रश्नगत भूमि के सन्दर्भ में हितधारी पक्षकार है ऐसेमें अपीलाधीन आदेश से उनका प्रभावित पक्षकार होना स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी जो इस अपील में रेस्पो. संख्या 1 है के पिता द्वारा ही अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में रजिस्टर्ड बैचान के द्वारा प्लाट विक्रय किया गया है, ऐसेमें अपीलार्थी को पक्षकार प्रकरण बनाये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया अपीलाधीन आदेश न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। चूँकि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि में हित निहित है एवं प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया जाहिर होता है तथा चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रकरण नही है, ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनिल कुमार बनाम दलपत सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	09/2024	

अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03/01/2018 को निरस्त कर अपीलार्थी को पक्षकार समायोजित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03/01/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी का पक्षकार समायोजित कर उन्हें भी सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर